



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.:— 0141-2716907, 2716800

क्र. एफ8 (03)/रा.प्र.नि.मं./पूल/

दिनांक:—

कार्यालय आदेश (संशोधित)

पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 8 (3)/रा.प्र.नि.मं./पूल/139-156, दिनांक 04.02.2020 के अनुक्रमण में निम्न संशोधित आदेश जारी किया जाता है:—

वर्तमान में राज्य मण्डल मुख्यालय, जयपुर के वाहनो की सर्विस, मरम्मत इत्यादि कार्य की आवश्यकता होने पर राजस्थान मोटर गैराज, जयपुर भेजा जाता है। यहां देखा गया है कि मोटर गैराज द्वारा वाहन की सर्विस/मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है अपितु "अभाव प्रमाण पत्र" इस टिप्पणी के साथ जारी किया जाता है कि "अधिक कार्य होने एवं वाहन मरम्मत की सुविधा न होने के कारण आपके कार्यालय वाहन की मरम्मत करना संभव नहीं है। अतः आप नियमानुसार वाहन की मरम्मत प्राधिकृत डीलर/निजी वर्कशॉप से कराये जाने की व्यवस्था करावे।"

उक्त अभाव प्रमाण पत्र के प्राप्त होने पर मण्डल वाहन की सर्विस/मरम्मत का कार्य वाहन के अधिकृत सर्विस स्टेशन से कार्य करवाया जाता है। उक्त प्रक्रिया अपनाने के कारण वाहन की मरम्मत/सर्विस का कार्य वाहन के अधिकृत सर्विस स्टेशन से कार्य करवाया जाता है। उक्त प्रक्रिया अपनाने के कारण वाहन की मरम्मत/वाहन की सर्विस करवाने में अनावश्यक विलम्ब होता है। समय पर वाहन की सर्विस/मरम्मत नहीं होने पर वाहन के सुचारु संचालन में बाधा आती है।

अतः राज्य मण्डल वाहनों की सर्विस/मरम्मत का कार्य अविलम्ब करवाना सुनिश्चित करने हेतु मण्डल वाहनों की मरम्मत/सर्विस का कार्य करवाने हेतु मण्डल के सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर सीधे ही अधिकृत सर्विस स्टेशन से कार्य करवा लिया जावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से स्वीकृत है।


(शैलजा देवल)
सदस्य सचिव

दिनांक:— 06.02.2020

क्र. एफ8 (03)/रा.प्र.नि.मं./पूल/167

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव अध्यक्ष महोदय, रा.प्र.नि.मं., जयपुर
 2. कार्यालय अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर
 3. मुख्य लेखाधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर
 4. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर, भरतपुर, भिवाडी, , बीकानेर, भीलवाडा, बालोतरा, चित्तौड़गढ़, जयपुर (उत्तर), जयपुर (दक्षिण), सीकर, किशनगढ़, जोधपुर, कोटा, पाली, उदयपुर
- ✓ प्रभारी (आई.टी.), रा.प्र.नि.मं., जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल की Website पर Upload करे।

— " —
प्रभारी (प्रशासन/पूल)